न0:– 05/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

रजू दिनांकः– 11.02.2025

न0 05/2024

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना (आर.ए.एस)

उनवान

दुलारी देवी पुत्री रामहेत पत्नि रामदयाल ब्राह्मण निवासी भोपुर तहसील बालघाट जिला करौली।

वादीया

बनाम

1. तहसीलदार बालघाट जिला करौली।
2. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा बावत इस्तकरारहक व इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट वादीया

पेरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

दिनांकः– 23.05.2025

निर्णय

वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम फौजीपुरा की आराजी ख0न0 218/238/0.34, 220/0.67, 221/0.19, 222/0.21, 225/0.12, 226/1.15, 229/0.35, 230/1.11, 231/0.68, 232/0.70 कुल किता 10 कुल रकवा 5.52 है0, 188/236/0.87, 190/1.20, 200/0.73, 204/0.52, 207/0.23, 208/0.01, 210/0.48, 215/0.65, 216/0.47, 217/0.22 कुल किता 10 कुल रकवा 5.38 है0 मे वादीया के पिता रामहेत की विरासत नामांतकरण खोलते समय रामहेत मे वारिसान मेधालाल, समपत्ति, गल्ला, रामपति का नाम तो सही अंकन कर दिया जबकि वादीया का नाम दुलारी है जो उसके आधार कार्ड, जनआधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, बिजली का बिल राशनकार्ड मे अंकित है जो सही है इसलिये वादीया राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम मुक्ति के स्थान पर दुलारी कराने की हकदार है दुलारी के स्थान पर मुक्ति अंकित कर दिया है जो गलत किया है जिसे वादीया सही कराने के हकदार है।

बाका दिनांक 03.02.2025 को तहसील मे जमाबन्दी की नकल लेने पर पता चलने पर वादीया तहसीलदारजी से तहसील मे जाकर निवेदन किया कि मेरा नाम गलती से दुलारी के स्थान पर मुक्ति कर दिया है को दुरूस्त करने को कहा तो उन्होने साफ मना कर दिया, और कहा कि साक्षम न्यायालय से नाम दुरूस्त कराने का आदेश लेकर आओ, इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमायी जावे कि ग्राम फौजीपुरा की आराजी ख0न0 218/238/0.34, 220/0.67, 221/0.19, 222/0.21, 225/0.12, 226/1.15, 229/0.35, 230/1.11, 231/0.68, 232/0.70 कुल किता 10 कुल रकबा 5.52 है0, 188/236/0.87, 190/1.20, 200/0.73, 204/0.52, 207/0.23, 208/0.01, 210/0.48, 215/0.65, 216/0.47, 217/0.22 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:36:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

किता 10 कुल रकवा 5.38 है0 मे वादीया का नाम मुक्ति पुत्री रामहेत को हजफ कर दुलारी देवी पुत्री रामहेत अंकित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया, प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया कि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता न0 12, 13 कुल किता 20 कुल रकवा 10.90 है0 मे वादीया का नाम मुक्ति पुत्री रामहेत हि0 1/15 जाति ब्राह्मण निवासी भोपुर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जबकि वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे दुलारी देवी पत्नि रामदयाल दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे नामांतकरण न0 104 दिनांक 07.11.2016 के द्वारा धुपी बेवा श्रीलाल व नारायण पुत्र गैदा की विरासत से दर्ज हुआ है। वादीया का नाम तत्कालीन पटवारी द्वारा नामांतकरण दर्ज रिपोर्ट अनुसार सही दर्ज किया गया है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र धारा 136 का नही होकर अपील नामांतकरण का बनता है। इसलिये वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात कुल किता 10 कुल रकवा 5.38 है0 मे वादीया के पिता रामहेत की विरासत नामांतकरण न0 101 दिनांक 07.11.2016 खोलते समय रामहेत मे वारिसान मेधालाल, समपत्ति, गल्ला, रामपति का नाम तो सही अंकन कर दिया जबकि वादीया का नाम मुक्ति दर्ज कर दिया जबकि वादीया का नाम दुलारी है जो उसके आधार कार्ड, जनआधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, बिजली का बिल राशनकार्ड मे अंकित है से साबित है, जो गलत किया है, अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमायी जावे कि वादपत्रमे वर्णित आराजीयात मे वादीया का नाम मुक्ति पुत्री रामहेत को हजफ कर दुलारी देवी पुत्री रामहेत अंकित किया जावे।

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता न0 12, 13 मे वादीया का नाम मुक्ति पुत्री रामहेत हि0 1/15 जाति ब्राह्मण निवासी भोपुर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जबकि वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे दुलारी देवी पत्नि रामदयाल दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे नामांतकरण न0 101 दिनांक 07.11.2016 के द्वारा धुपी बेवा श्रीलाल व नारायण पुत्र गैदा की विरासत से दर्ज हुआ है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र धारा 136 का नही होकर अपील नामांतकरण का बनता है। इसलिये वादीया का वादपत्र खारिज फरमाया जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र धारा 136 का नही होकर अपील नामांतकरण का बनता है। इसलिये वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

वादीया वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम फौजीपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता न0 12, 13 मे वादीया का नाम मुक्ति पुत्री रामहेत हि0 1/15 जाति ब्राह्मण निवासी भोपुर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से मे अन्य प्रतिवादीगण मुताबिक जमाबन्दी दर्ज हिस्सानुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत जबाब के साथ पत्रावली मे शामिल नामांतरकण न0 101 दिनांक 07.11.2016 मे धूपी बेवा श्रीलाल जाति ब्राह्मण ... गैदा की विरासत मेधालाल पुत्र रामहेत, सम्पती, रामपति, मुक्ति, गल्लापुत्री ...हेत ... नाम स्वीकार हुआ हैं, इसी अनुरूप वर्तमान जमाबन्दी मे खातेदारी दर्ज ... सरकार तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण ... होकर अपील नामांतकरण का बताया गया है। चुकि वादीया द्वारा केवल राजस्थान भू...स्व अधिनियम की धारा 136

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:36:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

के तहत दायर ना होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा खातेदारी का है प्रस्तुत वादपत्र मे घोषणात्मक प्रकृति व्यापक व सम्पूर्ण है अतः त्वरित, न्यायहित मे निर्णय तथा रिपोर्ट को स्वीकारते हुए भी वादीया के वादपत्र को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम फौजीपुरा की आराजी ख0न0 218/238/0.34, 220/0.67, 221/0.19, 222/0.21, 225/0.12, 226/1.15, 229/0.35, 230/1.11, 231/0.68, 232/0.70 कुल किता 10 कुल रकवा 5.52 है0, तथा ख0न0 188/236/0.87, 190/1.20, 200/0.73, 204/0.52, 207/0.23, 208/0.01, 210/0.48, 215/0.65, 216/0.47, 217/0.22 कुल किता 10 कुल रकवा 5.38 है0 मे वादीया का नाम मुक्ति पुत्री रामहेत को हजफ कर दुलारी देवी पुत्री रामहेत अंकित करने के आदेश दिये जाते है, वादीया का जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:36:09 IST
Reason: SelfAttested